

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 70/2018 राजस्व अपील

1. रामजीलाल पुत्र श्री इन्दर जाति कीर निवासी डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिए सहायक वन अधिकारी वन संरक्षक दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 08.08.2018

प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल प्रकरण सं. 49/2017

उपस्थिति : श्री पाचूराम मेहरा अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।

: राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :—

दिनांक: 10.09.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि क्षेत्रीय वन अधिकारी लालसोट के प्रतिनिधि श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वन पाल नाका बिनोरी ने अपीलान्ट के विरुद्ध सहायक वन संरक्षक दौसा के समक्ष एक इस्तग़ासा इस आशय का प्रस्तुत किया कि रामजीलाल पुत्र श्री इन्दर जाति कीर निवासी डिगो (जाजम का डेरा) तहसील लालसोट जिला दौसा ने खसरा नं. 1038/410 रकबा 3.24 है0 वाके ग्राम डिगो पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर खेती कर रखी है। वनपाल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 1100 रु शास्ति कायम करने के साथ ही दो माह के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 08.08.2018 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।



अति० जिला कलक्टर
दौसा

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्त द्वारा वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रश्नगत वन विभाग की भूमि जिसपर वन विभाग अपीलान्त का अतिक्रमण बताता है वह भूमि और अपीलान्त को जो भूमि आवंटन हुई है वह पास-पास ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने न कोई मौका देखा न ही मौके पर जाकर भूमि का सीमाज्ञान किया और न ही अपीलान्त को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया। यदि मौक पर अपीलान्त का किसी भी वन विभाग की भूमि पर कब्जा पाया जावे तो अपीलान्त उस पर से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा खसरा नं. 1038/410 रकबा 3.24 है० वाके ग्राम डिगो पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर खेती कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 08.08.2018 के द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 1100 रु शास्ति कायम करने के साथ ही दो माह दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पूर्व में भी दिनांक 07.10.14 को अपीलान्त द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय कर वन भूमि से बेदखल कर दिया गया था।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी लालसोट की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा बहस के दौरान अपीलान्त का प्रश्नगत वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने तथा यदि मौक पर सीमाज्ञान कराया जाने पर अपीलान्त का किसी भी वन विभाग की भूमि पर कब्जा पाया जावे तो अपीलान्त उस पर से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार होना व्यक्त किया गया है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

अति० जिला कलक्टर


दस्ता



प्रकरण संख्या : 70 / 2018 राजस्व अपील


उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 08.08.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर अपीलान्त की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि का निरीक्षण एवं सीमाज्ञान कराया जाकर तदानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।




(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलक्टर, दौसा